राजस्थान के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होगा

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

नई दिल्ली/टोंक (मृदुल पत्रिका)। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में, भारत निर्वाचन आयोग ने में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें। यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती हैं।

6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी। राजस्थान के पहले बैच से इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 03 जिला निर्वाचन अधिकारी, 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 67 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26-27 मई को नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरऐक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

राजस्थान के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होगा, 26-27 मई को राजस्थान से पहला बैच नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा

खबरों की दुनिया

टोंक। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी और पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में, भारत निर्वाचन आयोग ने में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी। राजस्थान के पहले बैच से इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 03 जिला निर्वाचन अधिकारी, 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 67 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26-27 मई को नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा

सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरऐक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

श्रीगंगानगर, 19 मई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में भारत निर्वाचन आयोग ने आईआईआईडीईएम में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

26-27 मई को राजस्थान से पहला बैच नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा

श्रीगंगानगर। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआई आईडीईएम) में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी, बूथ लेवल अधिकारी और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में भारत निर्वाचन आयोग ने आईआई आईडीईएम में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों

के बारे में जागरूक करें। यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी/ जिला कलेक्टर/ कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी। राजस्थान के पहले बैच से इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 03 जिला निर्वाचन अधिकारी, 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 67 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26-27 मई को नई दिल्ली मे प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरऐक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

26-27 मई को राजस्थान से पहला बैच नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा

दिशा न्यूज। बारां.

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआई डीईएम) में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ, निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आईआईआईडीईएम में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी, जिला कलक्टर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य व संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ॺसीईओॠ के समक्ष की जा सकती हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

राजस्थान के पहले बैच से इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 03 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 67 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26-27 मई को नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरैक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

जयपुर टाइम्स 20.05.2025

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

राजस्थान के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होगा

जयपुर टाइम्स

नई दिल्ली/जयपुर(कासं)।। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी बूथ लेवल अधिकारी और BLO पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में, भारत निर्वाचन आयोग ने IIIDEM में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों की ओर से प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें। यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी/ जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष की जा सकती हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी। राजस्थान के पहले बैच से इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 03 जिला निर्वाचन अधिकारी 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 67 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26-27 मई को नई दिल्ली मे प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर इसीआई की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरऐक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

हमारा गगन 20.05.2025

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने झारखंड के बीएलओ पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

26-27 मई को राजस्थान से पहला बैच नई दिल्ली मे प्रशिक्षण प्राप्त करेगा

राजस्थान के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होगा

हमारा गगन

चूरू, । भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) श्री ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (ष्ठश्वह्लह्वा), निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी (श्वस्रह्लह्वा), बूथ लेवल अधिकारी (BLOs) और BLO पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में, भारत निर्वाचन आयोग (श्वष्टद्व) ने IIIDEM में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष की जा सकती हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (स्स्र) अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

राजस्थान के पहले बैच से इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें 03 जिला निर्वाचन अधिकारी (DEOs), 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (EROs) और 67 BLO पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26-27 मई को नई दिल्ली मे प्रशिक्षण प्राप्त करेगा

सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर श्वष्टद्व द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरऐक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप (VHA) और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पहला बैच 26 और 27 मई को नई दिल्ली में करेगा प्रशिक्षण प्राप्त

राजस्थान के लिए जल्द प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा प्रारम्भ, 83 प्रतिभागी करेंगे शिरकत

न्यूज सर्विस/नवज्योति, बून्दी।

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट आईआईआईडीईएम में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ, निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी ईआरओ, बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षक ने भाग लिया। पिछले तीन महीनों में भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई ने आईआईआईडीईएम में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

उद्घाटन भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों की ओर से प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें।

यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी, जिला कलेक्टर, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ के समक्ष की जा सकती हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसएसआर अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

राजस्थान के पहले बैच के इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 3 जिला निर्वाचन अधिकारी डीईओ, 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ईआरओ और 67 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26 एवं 27 मई को नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई ने जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरऐक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप वीएचए और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने झारखंड के बीएलओ पर्यविक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया

राजस्थान के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ होगा, 26-27 मई को राजस्थान से पहला बैच नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा

बून्दी, 19 मई। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आज नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) में झारखंड के फ्रंटलाइन चुनाव कर्मियों के लिए एक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 402 प्रतिभागी शामिल हैं, जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), निर्वाचक नामावली पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। पिछले तीन महीनों में, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने आईआईआईडीईएम में देश भर से 3000 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने झारखंड में मतदाताओं के नामांकन के दौरान जमीनी स्तर पर प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय मेहनत और समर्पण की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24(क) और 24(ख) के अंतर्गत पहली और दूसरी अपीलों के प्रावधानों से भली-भांति परिचित हों और मतदाताओं को भी इन प्रावधानों के बारे में जागरूक करें। यह उल्लेखनीय है कि अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ पहली और दूसरी अपीलें क्रमशः जिलाधिकारी/जिला कलेक्टर/कार्यपालक मजिस्ट्रेट और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के समक्ष की जा सकती हैं। 6 से 10 जनवरी 2025 के बीच विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभ्यास के बाद झारखंड से कोई अपील दायर नहीं की गई थी। राजस्थान के पहले बैच के इस कार्यक्रम में 83 प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें 3 जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), 13 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 67 बीएलओ पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह बैच 26 एवं 27 मई को नई दिल्ली में प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन प्रतिभागियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, मतदाताओं के पंजीकरण नियम 1960, चुनाव संचालन नियम 1961 और समय-समय पर ईसीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में इंटरऐक्टिव सत्र, भूमिकाओं का अभिनय, घर-घर सर्वेक्षण की रूपरेखा, केस स्टडीज और फॉर्म 6, 7 और 8 भरने के व्यावहारिक अभ्यास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को वोटर हेल्पलाइन ऐप (वीएचए) और आईटी उपकरणों पर भी प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तकनीकी डेमोंस्ट्रेशन और मॉक पोल के संचालन का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

रण कार्यक्रम

ज ने कहा
ा होता है

व बूंदी श्री माहेश्वरी पंचायत संस्थान के प्रचार मंत्री विनोद कुमार मंत्री का माहेश्वरी समाज के लोगों ने स्वागत किया और सामाजिक चर्चा की। इस अवसर पर बस्सी माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष गोपाल जी गादिया, युवा संगठन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सी पी नामधरानी, बस्सी माहेश्वरी समाज के महामंत्री रमेश जागेटिया, उपाध्यक्ष कैलाश मूँदड़ा, श्याम मलानी, व्यापार मण्डल अध्यक्ष किशन जागेटिया, प्रहलाद मूंदड़ा युवा अध्यक्ष उदित जी गादिया विनायक चेचानी मनोज नामधरानी, आदि उपस्थित रहे।